न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 17/2016

बनाम

वादीगण :–

1. सज्जन कंवर पुत्री अर्जुनसिंह पत्नि उदयसिंह जाति राजपूत निवासी बुचकलां हाल निवास लवारी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
2. धापु कंवर पुत्री अर्जुनसिंह पत्नि श्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर हाल निवासी लीलिया तहसील मेड़ता जिला नागोर ।
3. उच्छब कंवर पुत्री अर्जुनसिंह पत्नि सायरसिंह (फौत) के कायम मुकाम –
   3/1 सोनसिंह पुत्र सायरसिंह जाति राजपूत निवासी डाबरियानी कलां तहसील मेड़ता सिंटी जिला नागौर।

प्रतिवादीगण :–

1. सगतसिंह गोद पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
2. शिवराजकंवर पत्नि भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
3. मदनलाल पुत्र जवरीलाल जाति ओसवाल निवासी ग्राम बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह, श्री सोहनलाल चौधरी वादीगण की ओर से
श्री परमवीर सिंह, टी.एस. चाम्पावत, गोविन्द सिंह चौधरी प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 31.12.2019

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम बुचकलां की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, खसरानम्बर 41 रकबा 10 बिस्वा वर्तमान रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 32 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 48 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 49 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा कुल खसरा 7 कुल रकबा 136 बीघा 13 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसको आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त आराजी के खातेदार वादीगण के पिता/नाना अर्जुनसिंह पुत्र रामसिंह कौम राजपूत खातेदार काश्तकार थे । वादीगण के पिता/नाना अर्जुनसिंह पुत्र रामसिंह का आज से करीब 35 वर्ष पहले देहान्त हो गया कुछ वर्षो बाद वादीगण की माता/नानी का देहान्त हो गया । स्व. अर्जुनसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिस उक्त वंशवृक्ष के अनुसार तीन पुत्रीयां व पत्नि एवं गोद पुत्र है पद सं. एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता/नाना की खातेदारी भूमि रही है स्व. अर्जुनसिंह निर्वसीयत ही फौत हो गये है स्व. अर्जुनसिंह की जायन्दा तीन पुत्रीयां है स्व. अर्जुनसिंह के जायन्दा पुत्र नही होने से सगतसिंह को गोद लिया गया है स्व. अर्जुनसिंह पुत्र रामसिंह के फौत हो जाने पर कानूनन हिन्दु

सहायक कलक्टर एवं अधिकारी जोधपुर

Scanned by CamScanner

...र्जुनसिंह की मृत्यु (स्वर्गवास) दिनांक 10.07.1979 को निर्वसीयत ही हो गयी थी । ...उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादग्रस्त आराजी स्व. अर्जुनसिंह की ...पुत्रियो उच्छबकंवर, सज्जनकंवर, धापुकंवर पत्नि आसकंवर व गोदी पुत्र सगत में ...गत (निहीत) हो गई । आसकंवर का स्वर्गवास होने के पश्चात् उनके हक हिस्से ...भूमि तीनो पुत्रियो एवं गोदीपुत्र में निहीत हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी ...दायगी कृषि भूमि होने से वादग्रस्त आराजी के वादी सं. एक (1) का 1/4 हिस्सा ...दी सं. 2 (दो) का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 (एक) का 1/4 हिस्से के ...तेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, चूंकि वादग्रस्त एवं हस्तगत आराजी के ...सरा नम्बर 41 रकबा 7.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी न. 1 सम्पूर्ण हिस्से का बैचान ...या था एवं तत्समय वादीगणो में से किसी को भी खातेदार एवं काश्तकारी ...धिकार प्राप्त नही थे, अतएवं प्रतिवादी सं. 1 (एक) को बेचान करने का सम्पूर्ण ...धिकार था एवं वादीगण ने बेचाननामा को सिविल न्यायालय में निरस्त करवाने हेतु ...धिक चाराजोही भी नही की है एवं केता भी सद्भावी केता है, लिहाजा खसरा ...म्बर 41 रकबा 7.10 बीघा का खातेदार/काश्तकार वर्तमान रेवेन्यु रेकर्ड (जमाबंदी ...एवं गिरदावरी) में अभिलेखित मदनलाल पुत्र श्री जवरीलाल जाति ओसवाल निवासी ...कलां को घोषित किया जाता है । इस प्रकार कुल समग्र एवं संकलित भूमि 136. बीघा में से खसरा नम्बर 41 रकबा 7.10 बीघा भूमि को छोड़ते हुए शेष खसरा ...र 44, 47, 48, 49, 50 तथा 52 कुल रकबा 129.03 बीघा का माप एवं सीमाकंन साथ – साथ बंटवाड़ा किया जाकर प्रत्येक खसरे में (खसरा नम्बर 41 को ...ड़कर) वादीगण के हिस्से की भूमि 3/4 अलग से सीमांकन एवं विभाजित कर ...ते की भूमि अलग छोड़ते हुए बंटवाड़े में दी जाकर अलग से तरमीम करने एवं ...न्यु रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता । वादीगण द्वारा निर्णय की प्रति प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् सम्पूर्ण आदेश की ...लना तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा की जाकर वादीगण के हिस्से एवं बन्ट में आई ...मि पर वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग, उपभोग एवं कृषि संबंधी समस्त ...धिकारो में प्रतिवादी न तो स्वयं दखलन्दाजी उत्पन्न करे, एवं न ही किसी अन्य से ...रावे, इस आशय की आदेश के साथ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है ।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है । ग्राम बुचकलां तहसील पीपाड़ ...हर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 44 रकबा 19.18 बीघा, खसरा नम्बर 47 ...कबा 32.06 बीघा, खसरा नम्बर 48 रकबा 26.10 बीघा, खसरा नम्बर 49 रकबा 21.12 ...घा, खसरा नम्बर 50 रकबा 15.16 बीघा, खसरा नम्बर 52 रकबा 13.01 बीघा कुल ...सरा 6 कुल रकबा 129.03 बीघा भूमि का वादी सं. 1 (एक) 1/4 हिस्सा वादी सं. (दो) का 1/4 हिस्सा, एवं वादी सं. 3/1 (तीन बट्टा एक) का 1/4 हिस्सा ...तिवादी सं. 1 (एक) को 1/4 हिस्से के सहखातेदार, खातेदार काश्तकार घोषित ...किया जाता है । खसरा नम्बर 41 रकबा 7.10 बीघा का खातेदार काश्तकार मदनलाल ...घोषित किया जाता है ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को स्पष्ट आदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार ...दीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 एवं 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर पालना ...पोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पेश करें । तहसीलदार पीपाड़ शहर को यह भी ...देशित किया जाता है कि दोनो पक्षकारों को सूचित कर वादग्रस्त भूमि का माप एवं ...सीमांकन के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव भू. राजस्व के नियम 18 से 21 की पालना ...जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तथा फर्द मौका बंटवाड़ा तैयार की ...कर अलग–अलग लगान अर्थात् बिघोड़ी (भू.राजस्व) स्थापित कर कमिश्नर फीस ...0/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये वादीगण से मौके पर ही वसूल करें । ...दीगण के बंट तथा हक हिस्से की भूमि पर तथा वादीगण के कब्जे काश्त व

...उपखण्ड अधिकारी ... शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

...ग तथा उपभोग में प्रतिवादीगण न तो स्वयं (हस्तक्षेप) दखलन्दाजी करें एवं न ...न्य किसी तृतीय पक्षकार या प्राधिकृत अधिकार से करवाये, इस आशय की स्थाई ...आज्ञा जारी की जाती है । खर्चा मुकदमा (वाद) पक्षकारान अपना-अपना स्वयं ...न करे, इस आशय की डिक्री आज दिनांक 31.12.2019 को न्यायालय प्रांगण से ...जारी की जाती है ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर, मजमे-ए-आम सुनवाया गया ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D & I)

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

सज्जनकंवर वगैरा बनाम सगतसिंह वगैरा

बाबत 88,53,188 आर टी एक्ट

राजस्व मूल वाद संख्या 17/2016

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील ओमप्रकाश कच्छावाह व मुदई परमवीरसिंह, टी.एस.चांपावत गोविन्दसिंह चौधरी, मनजानिब मुदायलह पेश होकर या जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है ग्राम बुचकलां तहसील पीपाड़ स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 44 रकबा 19.18 बीघा, खसरा नम्बर 47 रकबा 32. घा, खसरा नम्बर 48 रकबा 26.10 बीघा, खसरा नम्बर 49 रकबा 21.12 बीघा, खसरा नम्बर कबा 15.16 बीघा, खसरा नम्बर 52 रकबा 13.01 बीघा कुल खसरा 6 कुल रकबा 129.03 भूमि का वादी सं. 1 (एक) 1/4 हिस्सा वादी सं. 2 (दो) का 1/4 हिस्सा, एवं वादी सं. (तीन बड़ा एक) का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 (एक) को 1/4 हिस्से के सहखातेदार, ार काश्तकार घोषित किया जाता है । खसरा नम्बर 41 रकबा 7.10 बीघा का खातेदार कार मदनलाल को घोषित किया जाता है ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को स्पष्ट आदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार वादीगण तथा दी सं. 1 एवं 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता श करें । तहसीलदार पीपाड़ शहर को यह भी आदेशित किया जाता है कि दोनो पक्षकारो चित कर वादग्रस्त भूमि का माप एवं सीमांकन के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव भू. राजस्व यम 18 से 21 की पालना की जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तथा फर्द मौका ा तैयार की जाकर अलग–अलग लगान अर्थात् बिघोड़ी (भू.राजस्व) स्थापित कर कमिश्नर 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये वादीगण से मौके पर ही वसूल करें । वादीगण के था हक हिस्से की भूमि पर तथा वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग तथा उपभोग में दीगण न तो स्वयं (हस्तक्षेप) दखलन्दाजी करें एवं न ही अन्य किसी तृतीय पक्षकार या त अधिकार से करवाये, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है । खर्चा ा (वाद) पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करे, इस आशय की डिकी आज दिनांक 31. 19 को न्यायालय समय से जारी की जाती है ।

लीज .....शून्य .....मुवलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा

स मुकदमें के मय सूद व शरद.....शून्य.....फीसदी सालाना आज

ी तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....शून्य.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.12.2019 को जारी की गई।

दस्तखत..... 31/12/2019

ओहदा.....

	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया
अरजोदाबा			स्टाम्प वकालतनामा	
वकालतनामा			स्टाम्प अरजी	
वजह सबूत			महनताना वकील	
ाना वकील			खर्चा गवाहान	
गवाहान			फीस कमिश्नर	
कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा	
इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक	
र्रिक				
मीजान.....			मीजान.....	

– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या

Scanned by CamScanner